

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक— 207 /अलीगढ़/14208/2015, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 28, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज,
लखनऊ ।

विषय : अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (MDR-82W) किमी 01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यूपी/06/05/2017/एफसी/141, दि० 14.07.2017, महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनायें सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थीं।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक—273/14-1, दिनांक 24.07.2017 द्वारा बिन्दुवार सूचनायें इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं। सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु—3 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के समसंख्यक पत्र दि० 24.07.2017 द्वारा वांछित सी०डी० भारत सरकार के कार्यालय में पुनः उपलब्ध कराते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ के उक्त पत्र दिनांक 24.07.2017 की संलग्नक सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

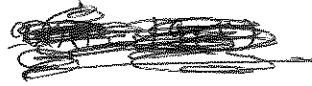
पत्रांक— 207 / , उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग—2, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2— प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़।
- 3— अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लो०नि०वि०, अलीगढ़।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



ई-मेल: cfollgarh@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 237 / 14-1,

दिनांक अलीगढ़ जुलाई: 24

2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद अलीगढ़ में नानऊ से दादों मार्ग किमी 0.000 से 30.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में नानऊ से दादों मार्ग किमी 0.1610 से 16.090 तक प्रभावित 10.184 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8वीं/यूपी०/०६/०५/२०१७/ एफ०सी०/१०१ दिनांक 13.01.2017, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक- 136 /अलीगढ़/14208/2015 दिनांक 20.07.2017 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ का पत्रांक- 237 / 14-10, दिनांक 24.07.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक 237 / 14-10, दिनांक 24.07.2017 द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायी गई आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। अतः आपत्ति पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

S. no	Observation	Reply
1.	इस कार्यालय द्वारा चाही गयी सूचना की प्रस्तुत अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड नहीं की गयी है।	Duly signed copy of compliance letter has been uploaded.
2	बिन्दुवार चाही गयी सूचना में बिन्दु संख्या-03 एवं 04 की पूर्ण अनुपालन आख्या नहीं प्रस्तुत की गयी है।	Observation 3: The land schedule provide from page 38 to 39 does not provide for balance of RoW at various chainage. Why varying width has been adopted at various chainages has not been explained in the proposal. Compliance: Existing ROW varies from 12-30 m & proposed COI varies from 12 m (settlement area) to 20 m (open/rural area). Existing ROW is limited to 12 m at some of the locations; also, the road formation at these locations has been kept to 12 m. Therefore, no balance land is being remaining at these stretches. Observation 4: The map uploaded of proposed forest land diversions is not a geo referenced map providing key points geo. co ordinates. Compliance: Revised Geo-referenced Map has been uploaded on portal and signed. Hard Copy submitted along with forest proposal.
3	भूसंदर्भित मानचित्र की .kml file बिना किसी प्राधिकृत अधिकारी के अप्रसारित किये बिना प्रस्तुत की गयी है।	.kml file as uploaded on MoEFCC portal reaches to Ministry of Environment, Forests & Climatic Changes, Regional Office (Central Region) after recommendation of Divisional Forest Officer, Conservator of Forests, Nodal Officer, State Government.

भवदीय,

(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

18

पत्रांक / 14-1, समदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्रांक 237 / 14-10, दिनांक 24.07.2017 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
पत्रांक 237 /14-10 अलीगढ़: दिनांक: जुलाई : 24 ,2017

सेवामें,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

जनपद अलीगढ़ में नानक से दादों मार्ग किमी 0.000 से 30.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में नानक से दादों मार्ग किमी 0.010 से 16.090 तक प्रभावित 10.184 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8वीं/यू०पी०/०६/०५/२०१७/ एफ०सी०/१०१ दिनांक 13.01.2017, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ०प्र०, लखनऊ

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी अपात्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है।

S.no.	Observation	Reply
1	इस कार्यालय द्वारा चाही गयी सूचना की प्रस्तुत अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड नहीं की गयी है।	Duly signed copy of compliance letter has been uploaded.
2	बिन्दुवार चाही गयी सूचना में बिन्दु संख्या-03 एवं 04 की पूर्ण अनुपालन आख्या नहीं प्रस्तुत की गयी है।	Observation 3: The land schedule provide from page 38 to 39 does not provide for balance of RoW at various chainage. Why varying width has been adopted at various chainages has not been explained in the proposal. Compliance: Existing ROW varies from 12-30 m & proposed COI varies from 12 m (settlement area) to 20 m (open/rural area). Existing ROW is limited to 12 m at some of the locations; also, the road formation at these locations has been kept to 12 m. Therefore, no balance land is being remaining at these stretches. Observation 4: The map uploaded of proposed forest land diversions is not a geo referenced map providing key points geo co ordinates. Compliance: Revised Geo-referenced Map has been uploaded on portal and signed Hard Copy submitted along with forest proposal.
3	भूसंदर्भित मानचित्र की .kml file बिना किसी प्राधिकृत अधिकारी के अग्रसाक्षित किये बिना प्रस्तुत की गयी है।	.kml file as uploaded on MoEFCC portal reaches to Ministry of Environment, Forests & Climatic Changes, Regional Office (Central Region) after recommendation of Divisional Forest Officer, Conservator of Forests, Nodal Officer, State Government.

भवदीय,

(एस०डी० त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 237 /14-10 दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2. अधिशारी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, अलीगढ़।

(एस०डी० त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी सेवा केंद्र, अन्वेषण रोड, फ़ैसल, अलीगढ़, पिन-202001 * ई-मेल: cfaligarh@gmail.com
पत्रांक 2897 / 14-1, दिनांक अलीगढ़: अप्रैल 26 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद अलीगढ़ में नानऊ से दादों मार्ग किमी 0.000 से 30.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में नानऊ से दादों मार्ग किमी 0.1610 से 16.090 तक प्रभावित 10.184 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8वीं/यू०पी०/०६/०५/२०१७/ एफ०सी०/१०१ दिनांक 13.01.2017 एवं आपका पत्रांक 2064/14-1 दिनांक 06.02.2017

महोदय,

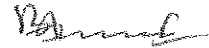
उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने अपने कार्यालय पत्रांक 2897/14-10, दिनांक 10.04.2017 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। अतः भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है:-

S. no.	Observation	Reply
1	As per the GIS DSS analysis, the .kml files (online uploaded ones) of proposed forest land diversion are in line format instead of polygon format.	Revised .kml file uploaded on MoEF & CC portal and the same has been enclosed in CD with this letter.
2	The proposal is without submission .kml files for proposed forest land diversion and proposed compensatory afforestation have not been submitted in form of CD with hard copy of the proposal.	Revised .kml file of proposed diversion and compensatory afforestation in CD have been submitted with this letter.
3	The land schedule provide from page 38 to 39 does not provide for balance of RoW at various chainage. Why varying width has been adopted at various chainages has not been explained in the proposal.	Existing ROW varies from 12-30 m & proposed COI varies from 12 m (settlement area) to 20 m (open/rural area). Existing ROW is limited to 12 m at some of the locations; also, the road formation at these locations has been kept to 12 m. Therefore, no balance land is being remaining at these stretches.
4	The map uploaded of proposed forest land diversions is not a geo referenced map providing key points geo co ordinates.	Revised Geo-reference Map in Hard Copy and .kml file in CD is attached with this letter.
5	The data employment generation shows 1500 nos as permanent employment which appears to be incorrect.	This is a typographical error. The permanent employment to be provided will be about 150 nos.
6	The certificate under FRA 2006 from DM Aligarh is not as per format and needs revision.	The Certificate under FRA 2006 from DM Aligarh as per prescribed format is enclosed.
7	The discrepancies need rectification:	

(a)	The enumeration list provided with the proposal mentions 1,434 nos whereas online uploaded list sums up to 1,435 nos.	The enumeration list provided with the proposal mentions correct number of trees affected i.e. 1,434. In the online uploaded list due to double entry of a single specie, that discrepancy arised, which has been rectified.
(b)	Details of poles (gbh < 30cms) and plants in proposed forest land has not been provided.	Details of poles (gbh<30 cms) and plants has been enclosed with the revised proposal.
8	The kml files for compensatory afforestation needs submission for GIS DSS analysis.	.kml files of compensatory afforestation is attached with the revised proposal..
9	The proposal is without following documents uploaded online:	
(a)	Site Inspection Report of DFO in GOI approved format.	Site Inspection Report of DFO in GOI approved format enclosed.
(b)	Site suitability certificate for compensatory afforestation.	Site suitability certificate for compensatory afforestation has been uploaded online.

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(बी० प्रभाकर)

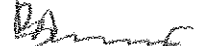
वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक १४५६/१४-१, समदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

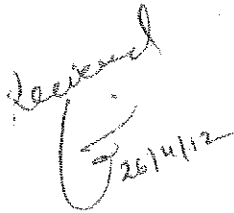
1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।



(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।



०/८